



न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 133/2017-18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुखराम पाहन वो संजय पाहन - विक्रेता

नन्दी देवी वो सुशीला देवी - क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
28.07.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. श्री सुखराम पाहन पिता स्व० लोहर सिंह वो 2. संजय पाहन पिता स्व० दुखुवा पाहन दोनों ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने 1. नन्दी देवी पति श्री सीताराम मुण्डा वो 2. सुशीला देवी पति श्री सुखराम मुण्डा दोनों ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="289 695 1349 779"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>महुवाटोली</td> <td>85</td> <td>29</td> <td>282</td> <td>0.14</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/ खतियान एवं लगान की रसीद सं० 6668127 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 501 दिनांक 05.06.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम आसिन पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार आसिन पाहन वगैरह के नाम भूमि का 16.48½ एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 2.74 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016-17 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 62600.00(बारसठ हजार छः सौ)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.60 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरोहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता - विक्रेता को भूमि क्रय- वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. श्री सुखराम पाहन पिता स्व० लोहर सिंह वो 2. संजय पाहन पिता स्व० दुखुवा पाहन को 1. नन्दी देवी पति श्री सीताराम मुण्डा वो 2. सुशीला देवी पति श्री सुखराम मुण्डा के साथ ग्राम महुवाटोली के खाता सं० 29 खेसरा संख्या 282 का रकबा 0.14 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 62600.00(बारसठ हजार छः सौ)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	महुवाटोली	85	29	282	0.14	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
महुवाटोली	85	29	282	0.14								